भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4583**

जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

**पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं**

4583. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बोडोलैण्ड और पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में 98 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं / कितनी निर्माणाधीन हैं और कितनी परियोजनाओं को अभी शुरू किया जाना है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए कुल अनुमानित निवेश कितना है और राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन परियोजनाओं के निष्पादन में चुनौतियों का समाधान करने और विलंब की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा सहित बोडोलैंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं (निर्माणाधीन, 2024-25 के दौरान पूर्ण, स्वीकृत लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है) का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| **क्र.सं.** | **राज्य का नाम** | **निर्माणाधीन परियोजनाओं का विवरण** | | | **2024-25 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं का विवरण** | | | **स्वीकृत लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई परियोजनाओं का विवरण** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **संख्या** | **लंबाई (किमी)** | **लागत (करोड़ रुपये में)** | **संख्या** | **लंबाई (किमी)** | **लागत (करोड़ रुपये में)** | **संख्या** | **लंबाई (किमी)** | **लागत (करोड़ रुपये में)** |
| 1 | असम | 66 | 1,139 | 39,239 | 12 | 131 | 1,464 | 14 | 273 | 14,393 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 32 | 615 | 9,035 | 7 | 121 | 1,700 | 35 | 1,230 | 26,550 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | नागालैंड | 36 | 755 | 10,151 | 3 | 55 | 656 | 5 | 62 | 331 |
| 4 | मणिपुर | 36 | 749 | 11,285 | 4 | 37 | 327 | 4 | 127 | 2,048 |
| 5 | त्रिपुरा | 16 | 324 | 7,652 | 5 | 45 | 205 | - | - | - |
| | **कुल** | **186** | **3,582** | **77,362** | **31** | **389** | **4,352** | **58** | **1,692** | **43,322** |

निर्माणाधीन कार्यों, पूरे हो चुके कार्यों और स्वीकृत लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के खर्चों को पूरा करने के लिए निधियां परियोजना-वार नहीं, बल्कि राज्य-वार आवंटित की जाती है। 2024-25 के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास और रखरखाव कार्यों के लिए आवंटित निधियां इस प्रकार है:

| **क्र. सं.** | **राज्य** | **आवंटन )करोड़ रुपये में(** |
|---|---|---|
| 1 | असम | 5,239 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 3,488 |
| 3 | नागालैंड | 1,227 |
| 4 | मणिपुर | 1,508 |
| 5 | त्रिपुरा | 514 |

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का पूरा होना, ऋण भार मुक्त भूमि की उपलब्धता, वन विभाग की मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, कार्य करने लायक मौसम, ठेकेदार की वित्तीय स्थिति आदि पर निर्भर होता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में निर्माणाधीन सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को 2028 तक पूरा किया जाना है।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निष्पादन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और देरी से बचने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित करना

(ii) विवाद समाधान तंत्र को नया रूप दिया गया

(iii) भूमि अधिग्रहण, मंजूरी आदि के संदर्भ में पर्याप्त तैयारी के बाद परियोजनाओं को सौंपना।

(iv) संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यथाशीघ्र सही तरीके से तैयार किए गए उपयोगिता अनुमान प्राप्त किए जाना चाहिए और उन्हें मूल्यांकन प्रस्ताव का हिस्सा बनाना होगा।

(v) राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय

(vi) विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा

(vii) कार्यक्षेत्र (स्कोप) में परिवर्तन और समय विस्तार के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करना

(viii) कार्यों की स्वीकृति से पहले नेटवर्क नियोजन समूह का मूल्यांकन, ताकि मंजूरी से संबंधित मुद्दों को पहले ही चिन्हित किया जा सके और समाधान पहले से ही निकाला जा सके।

(ix) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों में सुरक्षा कार्यों के लिए उचित प्रावधान किए जाते हैं।

*****